

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-02

लखनऊ : दिनांक 16 नवम्बर, 2021

विषय:- दिनांक 15 नवम्बर, 2021 से दिनांक 15 फरवरी, 2022 तक विशेष अभियान चलाकर पशुपालन घटक में पशुपालकों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.No.M-02022/14/2020-C.D.D, दिनांक 10 नवंबर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें पशुपालन से सम्बन्धित किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) से पशुपालकों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से विशेष अभियान दिनांक 15 नवंबर 2021 से दिनांक 15 फरवरी 2022 तक चलाये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस अभियान अन्तर्गत पशुपालन घटक से सम्बन्धित गोवंशीय, महिषवंशीय, बकरी, सूकर, कुक्कुट एवं अन्य पशुओं का पालन करने वाले पशुपालकों को आच्छादित कराते हुए समस्त पात्र पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करना है, जो दुग्ध संघों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा पूर्व अभियान दिनांक 1 जून, 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक आच्छादित नहीं हुए हैं।

3- जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी इस अभियान के नोडल अधिकारी होंगे। अभियान के सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारियों को नामित करते हुए लक्ष्य का आवंटन करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर किया जाना है, जो एस0ओ0पी0/गाईडलाईन दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के अनुसार है। उक्त दिशानिर्देश में यह भी वर्णित है कि धनराशि रुपये 1.60 लाख सीमा तक क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसी धरोहर/प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अभियान की अवधि में कार्यक्रम को स्थानीय समाचार-पत्र, मीडिया, टीवी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर पशुपालकों को जागरूक किया जाये।

3- भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पशुपालन घटक हेतु 15.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें दुग्ध घटक हेतु 04.00 लाख एवं मत्स्य घटक हेतु 02.00 लाख तथा पशुपालन-घटक हेतु 09.00 लाख का लक्ष्य आवंटित है। पशुपालन घटक का निर्धारित लक्ष्य 09.00 लाख का जनपदवार फॉट पत्र के साथ अवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

4- इस अभियान से सम्बन्धित प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जायेगी तथा भारत सरकार के स्तर पर भी दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को समीक्षा की जानी सम्भावित है।

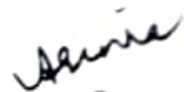
5- अभियान में तेजी लाने के लिए समस्त बैंकरों को जानकारी देने के लिए जनपद स्तर पर, विशेष डीएलबीसी की बैठक आयोजित करायी जाय। उक्त बैठक में कृषि, मत्स्य, दुग्ध, उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ प्रगतिशील किसानों को भी प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाए। अभियान से संबन्धित पोस्टर, लीफलेट आदि विकास खण्ड, तहसील, कलेक्ट्रेट और अन्य विशिष्ट स्थानों पर चस्पा कराया जाय एवं व्यापक प्रचार के दृष्टिगत प्रेस वार्ता आयोजित करायी जाय।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार के उक्त निर्देशानुसार प्रकरण में समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-

- 1- भारत सरकार का पत्र दि०-10.11.2021
- 2- जनपदवार लक्ष्य का आवंटन।
- 3- आवेदन पत्र का प्रारूप-1/2/3

भवदीय,


(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या-2187(1)/सैंतीस-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-II, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
8. स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।